

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 8889 दिनांक 08.09.2023

निमित्त:- अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छवडा।

विषय - कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558 ha)

संदर्भ:- 29.01.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में REC की बैठक अनुसार लगाई गई शर्त के क्रम में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती

a उल्लंघन की दिनांक - 25 सितम्बर 2013

b कुल प्रभावित क्षेत्रफल- 0.291 है०

c NPV की राशि- 957780 प्रति है०

d शास्ती की गणना 25 सितम्बर 2013 से 31 अगस्त 2023 तक
 $0.291 \text{ ha} \times 5 \times 957780 = 1393570$

E 25 सितम्बर 2018 से 31 अगस्त 2023 तक तक 12 % सामान्य ब्याज
 $1393570 \times \frac{12}{100} \times \frac{119}{12} = 1658348$

f. कुल शास्ती - $1393570 + 1658348 = 3051918$

2.यदी प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20% शास्ती के रूपदेय होगा और शरती

$3051918 \times \frac{20}{100} = 610383.66/-$ होगी।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।

2.संगागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

दिनांक

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

D/ Kota to Dharanawada Road

8889